



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112022-240222
CG-DL-E-11112022-240222

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2022/कार्तिक 20, 1944

No. 570]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022/KARTIKA 20, 1944

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2022

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीपीआर/पी/30/डब्ल्यू/13/डीडी/36/आईएनएफ/2015/डीसी/701/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18(17) और 19(1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. नवीनचंद्र विरजी गाड़ा (सदस्यता संख्या 123936), फ्लैट नंबर 201, दूसरी मंजिल, रतना तरंग सहकारी समिति, ए विंग, ओल्ड नगरदास रोड, अमरदीप नर्सिंग होम के ऊपर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400069 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (5), (7) और (9) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. नवीनचंद्र विरजी गाड़ा (सदस्यता संख्या 123936) के नाम को 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है और 50,000/- रुपए (केवल पचास हजार रुपए) का जुर्माना भी अधिरोपित किया है, जिसका भुगतान 30 दिनों के भीतर किया जाना है और जिसकी अभिपुष्टि अपीलीय प्राधिकरण द्वारा 5 अक्टूबर, 2022 को सुनाए गए अपने आदेश द्वारा की गई है। अतः अनुशासन समिति के पूर्वोक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त सीए. नवीनचंद्र विरजी गाड़ा (सदस्यता संख्या 123936) का नाम, 11 नवंबर, 2022 से 02 (दो) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन III/4/असा./393/2022-23]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2022

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PPR/P/30/W/13/DD/36/INF/2015/DC/701/2017:—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Navinchandra Virji Gada (Membership No. 123936), Flat No. 201 2nd Floor, Ratna Tarang Co-operative Society, A wing, Old Nagardas Road, Above Amardeep Nursing Home, Andheri(East), MUMBAI 400069**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clauses (5),(7) and (9) of Part I of Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of name of **CA. Navinchandra Virji Gada (Membership No. 123936)** from the Register of Members for a period of 02(Two) years and also imposed a fine of Rs. 50,000/- (Rupees Fifty Thousand Only) to be paid within 30 days which is also upheld by the Appellate Authority vide its order pronounced on 5th October, 2022. In pursuance of the aforesaid Order of the Disciplinary Committee and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations 1988, it is hereby notified that the name of **CA. Navinchandra Virji Gada (Membership No. 123936)** shall stand removed from the Register of Members for a period of 02(Two) years with effect from 11th November, 2022

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Ext./393/2022-23]